रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14032020-218666
CG-DL-W-14032020-218666

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 09] नई दिल्ली, मार्च 1—मार्च 7, 2020, शनिवार / फाल्गुन 11—फाल्गुन 17,1941
No. 09] NEW DELHI, MARCH 1—MARCH 7, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 11—PHALGUNA 17, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

सा.का. नि. 45 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम-1973, जहाँ तक उनका संबंध स्टाफ कार चालक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दूरस्थ इकाईयों में स्टाफ कार चालक (ग्रेड I), स्टाफ कार

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By deputation (including short term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory organisations or Public Sector Undertaking or University or Recognized Research Institutes:- A.(I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level -5 (Rs 29200-92300)/- in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column number (7). Note: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age -limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	**Departmental Confirmation committee (for considering confirmation) comprising of :** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge medical College -Chairman; 2. Head Of the Department of the Concerned Dept. in the Lady Hardinge medical College -Member; 3. Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the work of Lady Hardinge Medical College -Member; 4. Deputy Director Admin in Lady Hardinge Medical College -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/01/2019-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 53 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, वेधक-सह-मैकेनिक भर्ती नियम, 2004 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी

विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में वेधक-सह-मैकेनिक (मास्टर शिल्पकार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, वेधक-सह-मैकेनिक (मास्टर शिल्पकार) भर्ती नियम 2020 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वेधक-सह-मैकेनिक (मास्टर शिल्पकार)	181* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400)	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	**अर्हता:** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ड्रिल्लिंग या यांत्रिक या सिविल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा, और **अनुभव:** (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या

					निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कोई कानूनी या स्वायत संगठन से ड्रिल्लिंग रिगों के प्रचालन और अनुरक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	दो वर्ष	30 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: ऐसे सहायक वेधक-सह-मैकेनिक (अतिकुशल ग्रेड-1) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300रु.) में उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो। **प्रशिक्षण**: केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर से दो सप्ताह का जलकूप सन्निर्मान तकनीकों और उपस्कर स्तर-1 में प्रशिक्षण। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 23/02/2014/सीजीडब्ल्यूबी]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 14th February, 2020

G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the erstwhile Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Driller-cum-Mechanic (Master Craftsman) in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic (Master Craftsman) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Driller-cum-Mechanic (Master Craftsman)	181* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400/-).	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 years (Relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff	**Qualification:** (i) Diploma in Drilling or Mechanical or Civil or Automobile Engineering from a recognised University or Institute, and **Experience:** (ii) At least three years experience	No	Two years

Selection Commission.	in operation and maintenance of drilling rigs from Central or State Government or Union territory Administration or recognised any University or Institute or Public Sector Undertaking or any Statutory or Autonomous Organisation.		

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
30 % by promotion. 70 % by direct recruitment.	**Promotion**: Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-I) (Level-5 (Rs.29200-92300/-) in pay matrix with six years regular service in the grade. **Training:** Two weeks training in Water Well Construction techniques and equipment-Level-I at Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur. **Note -** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member; 3. Superintending Engineer, Central Ground Water Board -Member. **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member; 3. Superintending Engineer, Central Ground Water Board -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.23/02/2014/CGWB]

S. K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 54 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नक्शानवीस, श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 भर्ती नियम, 1992 को, जहां तक इनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-1 और नक्शानवीस श्रेणी-2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड में नक्शानवीस के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-